-प्रेस नोट-

दिनांक - 04.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.11.2024 वादी श्री प्रवेश कुमार पुत्र दुलार निवासी ग्राम अंगदपुर थाना दातागंज जनपद बदांयु की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त वादाम सिंह पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम अंगदपुर थाना दातागंज जनपद बदांयु द्वारा वादी के भाई विनोद के पेट मे चाकू मारकर गंभीर चोट पहुँचाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 353/24 धारा 118(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। ईलाज के दौरान घायल विनोद की मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त को धारा 118(1) बीएनएस को धारा 105 बीएनएस मे तरमीम किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे दिनांक 03.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या के मुकदमें में वांछित **अभियुक्त वादाम सिंह पुत्र श्री ब्रजपाल निवासी ग्राम अंगदपुर थाना दातागंज जिला बदायूँ** को गोविन्द पुर कट थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने गांव के ठेकेदार प्रवेश कुमार व विनोद के पास ठेके पर सरकारी टंकी बनाने के लिये आय़ा था और वहां पर टंकी बनाने का काम कर रहे था। टंकी को बनाने का ठेका मेरे गांव के ही प्रवेश ने ले रखा था, काम खत्म करने के बाद मैने शराब पी ली थी तथा विनोद ने भी शराब पी रखी थी, मै टंकी के पास बने कमरे के बरामदे में बैठा सब्जी काट रहा था ओर विनोद पम्प हाउस के कमरे के अन्दर लेट रहा था तथा काम करने की बात को लेकर हमारे बीच में बहस होने लगी थी तो शराब के नशे में विनोद मुझे गालियां देने लगा उस समय प्रवेश भी वही बरामदे में बैठा था मैने विनोद को गाली देने से मना किया तो विनोद शराब के नशे में पम्प हाउस के कमरे में से निकलकर पम्प हाऊस के बरामदे में आया तो मैने अपने हाथ में लिए सब्जी काटने के चाकू को विनोद के पेट मार दिया था और वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वादाम सिंह पुत्र श्री ब्रजपाल निवासी ग्राम अंगदपुर थाना दातागंज जिला बदायूँ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 1259 विनीत थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1997 विनित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक 04.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें मे वांछित चल रहे 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.12.2024 को थाना नागल पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें वांछित चल रहे **02 अभियुक्तगण 1. साहिल पुत्र फजरुद्दीन निवासी कल्लू गढी ईदगाह वाली मस्जिद थाना मसूरी जिला गाजियाबाद व 2. मोहसीन पुत्र रशीद निवासी कल्लू गढी ईदगाह वाली मस्जिद थाना मसूरी जिला गाजियाबाद** को सम्बन्धित मु0अ0स0 204/24 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना नागल में जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम पता

1. साहिल पुत्र फजरुद्दीन निवासी कल्लू गढी ईदगाह वाली मस्जिद थाना मसूरी जिला गाजियाबाद
2. मोहसीन पुत्र रशीद निवासी कल्लू गढी ईदगाह वाली मस्जिद थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

अभियुक्त साहिल पुत्र फजरुद्दीन का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 204/24 धारा 2/3गैंगस्टर एक्ट थाना नागल सहारनपुर
2. मु0अ0स0 53/24 धारा 395/412 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना नागल, सहारनपुर

अभियुक्त मोहसीन पुत्र रशीद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 204/24 धारा 2/3गैंगस्टर एक्ट थाना नागल सहारनपुर
2. मु0अ0स0 53/24 धारा 395/412 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना नागल, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- निरीक्षक प्रभारी श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नागल जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना नागल सहारनपुर।

3- है0का0 05 इमराना खान थाना नागल सहारनपुर।

4- का0 1802 बिट्टू कुमार थाना नागल सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 04.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मात्र 15 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.12.2024 को वादी श्री विशाल पुत्र जयपाल निवासी बचीटी थाना देबवन्द हाल निवासी पुष्पांजली विहार थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस रंग काला रजि न0- UK 17 F 1641 को वादी के घर के सामने से चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 313/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 15 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वाहन चोर/अभियुक्त नितिन पुत्र विनोद निवासी पुष्पांजली विहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नितिन पुत्र विनोद निवासी पुष्पांजली विहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 मोटर साईकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस रंग काला रजि न0- UK 17 F 1641

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. म0उ0नि0 सुमन चाहर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 218 अय्यूब अली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 574 अश्वनी कुमार विकास कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 04.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.12.2024 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मौ0 कादिर पुत्र मौ0 आलम निवासी पीर वाली गली बरेलियो का मदरसा वार्ड नं0-25 थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवाद सं0 811/2024 धारा 125 (3) सीआरपीसी चालानी थाना जनकपुरी, सहारनपुर नियत दिनांक 05/12/2024 (मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश /परिवार न्यायालय, सहारनपुर) में बरेलियो के मदरसे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 कादिर पुत्र मौ0 आलम निवासी पीर वाली गली बरेलियो का मदरसा वार्ड नं0-25 थाना मण्डी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 906 विपिन राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 477 विनोद कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
4. का0 978 विपिन कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
5. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांकः 04.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा 02 शातिर गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिन्दा बछडा तथा गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पशु चोरी/गौकशी आदि घटनाओ की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्तव मे आज दिनांक 04.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा **02 शातिर गौकश अभियुक्तगण 1.कलीम उर्फ काला पुत्र असगर निवासी मौहल्ला बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर व 2. हसीन पुत्र मंगता निवासी मौहल्ला पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सापंला रोड पर नहर पुलिया के किनारे हाशिमपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 जिन्दा बछडा व गौकशी के उपकरण (01 पल्ली, 02 रस्सी, 02 छूरे, 01 दाव, 01 लकडी का गुटका) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 665/24 धारा 3/5क/8 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण ने पूछताछ एक साथ बताया कि हम दोनों आवारा गोवंश का कटान करके गौमांस को बेचकर जो रूपये मिलते है उसे आपस में बांट लेते है। आज आपने हमें जिस गौवंश के साथ पकडा है हम दोनों ने सापंला अड्डे से पकडा था और काटने के लिये यहा लाये थे जिसका कटान करके हम इसका माँस बिक्री कर पैसे आपस में बाँट लेते जिससे हमें काफी रुपये मिल जाते।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. कलीम उर्फ काला पुत्र असगर निवासी मौहल्ला बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर
2. हसीन पुत्र मंगता निवासी मौहल्ला पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 रास बछडा
- गौकशी के उपकरण (01 पल्ली, 02 रस्सी, 02 छूरे, 01 दाव, 01 लकडी का गुटका)

अभियुक्त हसीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 479/20 धारा 504, 506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट थाना देवबंद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 561 शमीम थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 158 जितेन्द्र कुमार देवबंद जनपद सहारनपुर।
5. का0 2107 रवि राठी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
6. का0 2107 रवि राठी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।